

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5242

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 02.09.24

अप्रार्थीगण

1 जलालखां पुत्र गुमानखां जाति तेली निवासी सुथारों की ढाणी, भाड तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


1 अमीन पुत्र करीम 2 गफूरखान 3 शाहरूख पिरारान जुसब 4 इब्राहीम पुत्र गुमाना 5 रमजान पुत्र रतना 6 सुमानखां पुत्र गुमाना जाति तेली निवासी सुथारों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 470/2024

दिनांक- 22.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 341/184 रकबा 4.8238 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5243-46

दिनांक- 02.09.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जलालखां जाति तेली निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अमीन पुत्र करीम वगैराह जाति तेली निवासी भाडखा निवासी आकल तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर